राष्ट्रीय कृषि संधारणीय मिशन

(क) वर्षाश्रित क्षेत्र विकास योजना (आर०ए०डी०)- इस योजना का मूल उद्देश्य कलस्टर आधारित दृष्टिकोण (100 हे०), समेकित कृषि प्रणाली को अपनाकर फसलों की उत्पादकता बढ़ाना जैसे-फसल, बागवानी, गव्य, पशु संसाधन, मत्स्य, वानिकी इत्यादि तथा प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण तथा मूल्य संर्वद्धन है। इस योजना का मुख्य कार्यक्रम ग्रीन हाउस, मधुमक्खी पालन, साईलेज इकाई, कटाई उपरान्त भंडारण/प्रसंस्करण इकाई, तालाब/जलाशय का निर्माण (व्यक्तिगत/सामुदायिक), जलाशय का उद्धार, ट्यूब वेल, सिंचाई पाइप, सोलर पाइप, डीजल/विद्युत चालक पाइप, वर्मी कम्पोस्ट इकाई, हरी खाद इत्यादि है।

(ख) मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड एवं प्रबन्धन योजना- इस योजना के मुख्य उद्देश्य अगले तीन वर्षों में पूरे राज्य के खेतों की मिट्टी की जाँच कर किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना, कृषि छात्रों के क्षमता संर्वद्धन भागीदारी तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ प्रभावी सहयोग से मिट्टी जाँच प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना, इस योजना अंतर्गत जिलों के मिट्टी की उर्वरता संबंधित समस्याओं का निदान हेतु समान रूप से मिट्टी नमूना लेने के लिए मानकीकृत प्रक्रियाओं के साथ विश्लेषण, विकसित एवं पोषक तत्वों के उपयोग क्षमता को बढ़ाने के लिए जिलों में मिट्टी परीक्षण के आधार पर पोषक तत्व प्रबन्धन को बढ़ावा देना, पोषक तत्व के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए जिला एवं राज्य स्तर के मिट्टी जाँच से जुड़े कर्मियों तथा प्रगतिशील किसानों का क्षमता संर्वद्धन आदि है।

(ग) परम्परागत कृषि विकास योजना- इस योजना के मुख्य उद्देश्य जैविक खेती के परम्परागत संसाधनों का उपयोग को प्रोत्साहित करना एवं जैविक उत्पादों को बाजार के साथ जोड़ना, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कलस्टर एवं पी०जी०एस० प्रमाणीकरण के द्वारा जैविक गाँव विकसित करना, इस योजना के तहत कलस्टर में 50 एकड़ भूमि में जैविक खेती कराने के लिए 50 या अधिक किसानों को लेना, तीन वर्ष के लिए बीज से लेकर फसल की कटाई, ब्रांडिंग, पैकेजिंग तथा उत्पाद के विपणन तक प्रत्येक किसान को 20000 रु० प्रति एकड़ सहायता उपलब्ध कराना तथा किसानों के सहयोग से घरेलू उत्पादन एवं जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण में वृद्धि करना है।